

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 27.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 284/25 धारा 69/333 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आयूष पुत्र राजकिशोर निवासी कीरतपुर मडैया थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 81/18 धारा धारा 41/411/413 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त शाहिद हुसैन पुत्र राशिद हुसैन निवासी वार्ड नं0-12 आजाद नगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित अवस्थी पुत्र रमेश चन्द्र अवस्थी निवासी नेहरु नगर वार्ड नं0 13 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 32 वर्ष द्वारा आने जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील हरकते व कमेंट्स करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 442/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त पपिन कुमार उर्फ विजय पुत्र रामसिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी जगदीशपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा दुर्गा देवी मंदिर के पास रास्ते से आने-जाने वाली लडकियों को देखकर अश्लील हरकते व इशारे करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 304/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. नवीन पुत्र दयाशंकर उम्र 22 वर्ष निवासी कस्बा व थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात 2. शलीम पुत्र सज्जन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम दरौली थाना रेऊना कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा गजनेर चौराहे के पास आने-जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे व हरकते करना व अश्लील गाना गाने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रामनारायण निवासी हंसपुर थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष, द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर अश्लील गाने गाना व भद्दे कमेंट करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 320/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामशंकर सविता पुत्र रामशरन सविता निवासी कस्बा पुखरायां मेनरोड अकोठी मोड थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 320/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त वीर सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी कलुआ ताला थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के

संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 322/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मान सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बिबियापुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 26 वर्ष द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 323/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना अमराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त नीलू पुत्र स्व0 बलवान सिंह नि0 ग्राम भुपईयापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने जाने वाली लडकियों को देखकर अश्लील गाना गाने व हरकते करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 31/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 25 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रनियाँ पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।